न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवा (म0प्र0)

R. 2574 - II/14

C.F-20-00

श्रीमती कुसुम बाई पत्नी गोरेलाल रजक (धोबी) निवासी ग्राम पपौंध थाना तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल (म0प्र0) .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. सुशील जयसवाल पिता भिख्खू जयसवाल निवासी ग्राम पपौंध थाना तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल (म0प्र0)
2. म0प्र0 शासन द्वारा -
   अ- राजस्व निरीक्षक मण्डल पपौंध थाना व तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल (म0प्र0)
   ब- हल्का पटवारी पपौंध थाना व तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल (म0प्र0)

.... उत्तरवादीगण

राजस्व निगरानी

विरुद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल पपौंध तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल (म0प्र0) बसिलसिले राजस्व प्र0क्र0-10/अ-12/2012-13 आदेश दिनांक 20.07.2013 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0

मामले का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि उत्तरवादी क्र. 1 द्वारा अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक के समक्ष ग्राम पपौंध तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल स्थित आराजी खसरा नं. 1057/1क3, 1057/6 एवं 1057/10 के सीमांकन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा जिसे की सीमांकन आदेश करने का अधिकार दिनांक 23.12.10 को म0प्र0 भू0रा0सं0 की धारा 129 में संशोधन कर अधिकार प्रदत्त किए गए है उसका दुरूपयोग करते हुए अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन/बटांकन की सूचना दिनांक 25.06.13 को जारी करते हुए दिनांक 30.06.13 को सीमांकन किए जाने का पत्र जारी किया गया तथा निगरानीकर्ता को भी सूचित किया गया इस सूचना पत्र में जहां निगरानीकर्ता के सभी हस्ताक्षर किए गए है वही यह भी लेख किया गया है कि दस्तखत करने से इंकार है और इसतरह दोनो ही बाते किसी भी तरह से संभव नही है । पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 30.06.13 को एक पंचनामा तैयार किया गया है लेकिन दिनांक 30.06.13 को सीमांकन के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन नही किया गया जिसका प्रमाण प्रकरण में ही संलग्न है। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के समय जो फील्ड बुक बनाई जाती है वह दिनांक 20.07.13 को बनाई गई है तथा पेश नक्शा दिनांक 20.07.13 को राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया इससे स्पष्ट है कि दिनांक 30.06.13 को जो सीमांकन किया गया उसमे मात्र पंचनामा बनाया गया व फील्ड बुक नक्शा दिनांक 20.07.13 को तैयार किया गया जबकि भूमि के सीमांकन के समय सर्वप्रथम फील्ड बुक बनाया जाना चाहिए और नाप किए जाने के पश्चात

--2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2574–दो/14 जिला शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–2–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक पपौंध तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 10/अ–12/12–13 में पारित आदेश दिनांक 20–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया तथा प्रकरण के साथ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि तहसील न्यायालय ने अपूर्ण नक्शे के आधार पर अनावेदक की भूमि का सीमांकन कर दिया जबकि आवेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तो उसका आवेदन नक्शा फटे होने के कारण सीमांकन संभव नहीं होने से निरस्त कर दिया। राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन में कोई त्रुटि बतलाने में आवेदक अभिभाषक असमर्थ रहे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार कर इस प्रकरण का इस निर्देश के साथ निराकरण किया जाता है कि यदि आवेदक सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करे तो तहसीलदार उसकी भूमि का सीमांकन विधिवत प्रकिया अपनाकर करें। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	

17 February 2016